–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला – अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 210/2011

उनवान

सूरजकरण पुत्र खेता जाति जाट नि0 ग्राम रामसर, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 88, 188, 91, 92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनाँक :– 23.4.25

पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के न्यायालय से इन निर्देश के साथ प्राप्त हुयी है कि पूर्व में हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.14 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। दिनांक 31.10.14 को अपीलीय न्यायालय ने निर्देश प्रदान किये थे कि जमाबंदी सम्वत् 2018 से 2021 में अपीलांट के पिता के नाम विवादित आराजी की खातेदारी दर्ज रही तथा राजस्व नक्शें में चौसाला खसरा नम्बर 437 एक ही चक के रूप में बारानी–2 दर्ज थी तो किस सक्षम न्यायालय के आदेशों से इन्द्राज परिवर्तन किया जाकर रास्ते के रूप में दर्ज की गयी। इस सन्दर्भ में पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के चौसाला खसरा नम्बर 437 मिन रकबा 7–9–0 की आराजी उसके पिता को नियमन की गयी थी। नामा0 स0 671 दिनांक 18.8.96 द्वारा उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में उसके पिता के नाम दर्ज कर दी गयी। किन्तु आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 628 की किस्म गलत रूप से गै0मु0 रास्ता अंकित कर दी गयी। वादी के नाम आराजी मुतनाजा में से 5–12–0 हाल रेकार्ड मे दर्ज कर दी किन्तु हाल खसरा नम्बर 628 रकबा 0.20 व 631 रकबा 0.15 अवैधानिक रूप से सिवायचक दर्ज कर दी। वादी उक्त आराजी पर पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त है। अतः खसरा नम्बर 628 की किस्म रास्ते के स्थान पर पूर्व अनुसार बारानी की जावे एवं वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब दावा पेश किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी

1. आया खसरा नम्बर 628 का ... से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
   —— वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:08:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2. आया खसरा नम्बर 628 गै. मु. रास्ता ग्रामीणों के आवागमन हेतु काम में आने से वाद खारिज योग्य है ?

—— प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 से 15 पेश किये व पूर्व में प्रस्तुत बयान को ही स्वीकार करने का निवेदन कर नवीन साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। अधिवक्ता वादी द्वारा पूर्व में सूरजकरण, चतुर्भुज, शान्तिलाल के मौखिक बयान दर्ज कराये।

राज0 पैरोकार ने कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन कियां विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन कया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत है —

तनकी संख्या 1 व 2 :—

वादग्रस्त आराजी वादी के पिता को नियमन की गयी थी। जो नामा0 स0 671 से सिद्व होता है। उक्त इन्द्राज का अमल दरामद राजस्व अभिलेख में कर दिया गया था। साबिक ख. न. 437 के वंर्किग खसरा नम्बर 466, 467, 464, 463 रकबा क्रमशः 3—15—0, 1—8—0, 0—11—0, 1—18—0 बने है। वंर्किग खसरा नम्बर 464 वंर्किग जमाबंदी में सिवायचक गै0 मु0 रास्ता ही दर्ज है। व हाल ख.न. 628 रकबा 0.20 भी रास्ता दर्ज है। मौका रिपोर्ट अनुसार भी उक्त खसरा नम्बर मौके पर रास्ता है व रास्ते के रूप में काम मे आ रहा है। उक्त आराजी मौके व रेकार्ड में रास्ता होने के कारण वादी का उक्त आराजी पर कब्जा नही हो सकता। रास्ते की खातेदारी देना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है। अतः वादी हाल खसरा नम्बर 628 रकबा 0.20 पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। हाल खसरा नम्बर 631 रकबा 0.15 वंर्किग ख.न. 466 से बना है। उक्त आराजी पर वंर्किग जमाबंदी व चौसाला जमाबंदी में वादी/पूर्वज की खातेदारी में दर्ज था। मौका रिपोर्ट अनुसार वादी का उक्त आराजी पर कब्जा है। हाल राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण होने से पूर्व में हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में उक्त खसरा नम्बर पर वादी को खातेदारी प्रदान की जा चुकी है। खसरा नम्बर 628 की किस्म गै.मु. रास्ता है। उक्त खसरा नम्बर पर वादी का कब्जा काश्त नही है। वादी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त भी व्रादी ने कब्जे के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसर रास्ता प्रतिबंधित क्षेणी में आने के कारण उक्त आराजी पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान करना न्यायोचित नही हैं। वादी को खसरा नम्बर 631 पर पूर्व में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है। हाल खसरा नम्बर 628 मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रहा है। इसके खण्डन में भी वादी द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। उक्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 628 रकबा 0.20 की आरजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। ... स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:08:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इक्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सूरजकरण बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 91, 92ए, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 210/2011
पेश करने की दिनांक – 06.11.2018 (रिमाण्ड)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 628 रकबा 0.20 की आरजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 4 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:08:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद